maintained for this purpose. However, allotment letters to Oil Companies in respect of the successful candidates are issued only after getting confirmation from the Oil Company as well as LOI holder to the effect that he/she is not running any Gas Agency from private land.

Compensation to Budha Tri Ratna Mission

*317. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI RAHASBIHARI BARIK:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2498 given in the Rajya Sabha on the 28th November, 1986 and state:

(a) whether physical possession of Plot Nos. 2 and 3 measuring 0.5 acre has already been handed over to the Land & Development Office in 1995 for allotment to the Buddha-Tri-Ratna Mission;

(b) if so, the details thereof and the reasons for not allotting the land to the Mission as yet; and

(c) whether Government would compensate for the extra financial burden the Mission has to face in terms of the prime hike of land and building materials, etc. due to inordinate delay in allotment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The request for allotment of 0.5 acre land to Buddha Tri-Ratna Mission in C.R. Park (EPDP Colony) is under active consideration of the Government. Possession of the plot measuring 0.5 acre has been resumed by L&DO from DDA, and the requisite formalities for the allotment of land are under process.

(c) In view of (a) and (b) above, the question does not arise.

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*318. श्री अजीत जोगी:
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल तथा प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों को प्रदान की जाने वाली प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता में समानता लाने और पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) 1993-94 से 1995-96 तक राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसम्बर, 1991 में अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किए गए थे, फार्मूला तथा मानदण्ड के ब्योरे विवरण में दिए गए हैं। **[नीचे देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र सं० 42]**

(ख) 1993-94 से 1995-96 तक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का कुल तथा प्रतिव्यक्ति आवंटन के ब्योरे अनुबंध-2 तथा 3 में दिए गए है। **[देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र सं० 42]**

(ग) 1993-94 से 1994-95 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जुटाए गए संसाधन अनुबंध 4 और 5 में दिए गए हैं।

(घ) फार्मूले में पिछड़े राज्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा राज्यों को क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, सीमान्त क्षेत्रों तथा अन्य विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अलग से उपलब्ध कराई गई है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर किया जा सके।

विवरण

राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले की समीक्षा करने हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा योजना आयोग